Shri Shivaji Education Society, Amravati's

Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya, Amravati

ISO 9001:2015 Certified College

3rd Cycle

Assessment and Accreditation by NAAC

CRITERION – V

STUDENTS SUPPORT AND PROGRESSION

5.1 Student Support

5.1.4 ***The Institution has a transparent mechanism for timely Redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases***

1. Implementation of guidelines of statutory / regulatory bodies
2. Organisation wide awareness and undertakings on policies with zero tolerance.
3. Mechanism for submission of online / offline student's grievances
4. Timely Redressal of the grievances through appropriate committee.

Shri Shivaji Education Society, Amravati's
Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya
Shivaji Nagar, AMRAVATI-444 603 (M.S.)
NAAC Accredited By Grade 'B' with CGPA 2.31 (2nd Cycle)
☎ 0721-2664929 (Off.) e-mail : clg_amt_mvd@ssesa.org, mvdm120@sgbau.ac.in • website : www.mvdcollege.org

President
Hon'ble Harshvardhan P. Deshmukh
Shri Shivaji Education Society, Amravati

Principal
Dr Smita Deshmukh
B.Sc., M.A. (Eng.), Ph.D.

Founder President
Dr Panjabrao alias Bhausaheb Deshmukh
M.A., D.Phil., LL.D., Bar-At-Law

Date: 18/04/2023

Declaration

The information, reports, true copies of supporting document numerical data etc. furnished in this file is verified by IQAC and found correct.

Hence this is certificate.

Dr. S. D. Thakare
DR. S. D. THAKARE
Coordinator, I.Q.A.C.
Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya
Amravati

Matoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya AMRAVATI

Dr. S. R. Deshmukh
PRINCIPAL
Matoshree Vimalabai Deshmukh
Mahavidyalaya, Amravati.

CRITERION V: STUDENTS SUPPORT AND PROGRESSION

INDEX

Sr. No	Particular	Page. No
1	Implementation of guidelines of statutory / regulatory bodies	
•	University and Government Letter - Anti-Sexual Harassment and Compliances	2-20

5.1.4. The Institution has transparent mechanism for timely Redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

Proof for implementation of guidelines of statutory / regulatory bodies. Details of statutory/regulatory committees

5.1.4. The Institution has transparent mechanism for timely Redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases.

Implementation of guidelines of statutory / regulatory bodies

University and Government Letter - Anti-Sexual Harassment and Compliances

संत गाडगे बाबा
अमरावती विद्यापीठ
अमरावती – ४४४ ६०२
(महाराष्ट्र)

✆ : २६६२२०६, २६६२२०७, २६६२२०८, २६६२२४९, २६६२३५८ फॅक्स : ०७२१-२६६२१३५, २६६०९४९
वेबसाईट : www.sgbau.ac.in इमेल : reg@sgbau.ac.in

क्र. संगाबाअवि/७-ड/०९/१५७८ /१६
दि. २३ /९/२०१६

Inward No. 1405/16
Date 29/9/16 Signature

प्रती,
प्राचार्य,
सर्व संलग्नीत महाविद्यालये
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ

विषय : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" नुसार अंतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत.........

महोदय/महोदया,

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने "कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक प्रतिबंध विनियम २०१५" केंद्र शासनाच्या दि. २.५.२०१६ च्या राजपत्रात प्रकाशित केलेले असून सदर विनियम विद्यापीठ तथा संलग्नित महाविद्यालये यांना लागू करणे बंधनकारक आहे. सदर विनिमयाची प्रत यासोबत जोडून पाठविण्यात येत आहे. तथापि विद्यापीठाने यापूर्वी तयार केलेले code of conduct निरसीत करण्यात येत असून, आता सदर अधिनियमामध्ये दिल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये करणे गरजेचे आहे. सदर पत्राद्वारे आपणास कळविण्यात येते की, विनिमय २०१५ प्रमाणे सर्व महाविद्यालयामध्ये समितीचे गठन करून तसे विद्यापीठास कळविण्यात यावे. धन्यवाद.

आपला विश्वासू,

संचालक, मविविमं

सहपत्रे :
विनियम २०१५ ची प्रत.

Dr Vidhale, do the needful.
29.9.16.

WWW.LIVELAW.IN

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

Inward No. ...GVDM 14076/16
Date 21/10/16 Signature

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91–1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप–अनुच्छेद (1) से संयुक्त रुप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :–

1. **लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भः**– (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार)** विनियम, 2015 कहलाएगे।

   (2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

   (3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएँगे।

2. **परिभाषाएँ**:– इन विनियमों में–बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरुरी है:–

(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला–चाहे वह रोज़गार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो–जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

2136 GI/2016 (1)

Vidhale Mdm.

WWW.LIVELAW.IN

संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर–सपाटे के लिए, लघु–अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रूप में भाग ले रहा है–यह समस्त उस परिसर में सम्मिलित है;

(डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है;

(ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना–अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;

(एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन–सहायक शोध–सहायक चाहे वे रोजगार में है अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु–स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;

(जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हों– तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;

(एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचई.आई.) से अर्थ है–एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;

(आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटि) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप–विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकयत समिति (आइसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;

बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;

(जे) "संरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है– जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न कामों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जा रही जाँच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमें में बतौर गवाह मौजूद रहना;

(के) **"लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है–**

(i) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः–

(अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण

(ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना

(स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना

5.1.4. The Institution has transparent mechanism for timely Redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases

WWW.LIVELAW.IN

(ड) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना

(ई) अश्लील साहित्य दिखाना

(ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी कर्तव्य के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं–

(अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में है,

(ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी,

(स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर,

(द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके,

(ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;

(एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है:

बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है– यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा:

बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा,

(एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है–बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;

(एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;

(ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:

(अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;

(ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए है।

3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व–(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)

(अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करे तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना,

(ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार–प्रसार को सुनिश्चित करना,

WWW.LIVELAW.IN

(स) जैसा कि आयोग की **"सक्षम" (परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम)** रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यपालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुग्राही बनाना तथा इस अधिनियम एवं इन विनियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित कराना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना;

(द) इस बात को पहचानते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा तीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अन्तर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध निर्णयात्मक रूप से सक्रिय बनना;

(ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;

(एफ) सभी स्तरों पर अपने परिसर को, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;

(जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है– तथा इसके साथ ही हिंसापूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;

(एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थलों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नोटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दण्ड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा संस्थान के सभी समुदायों के वर्गों को इस तन्त्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तन्त्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना यदि कोई मौजूदा निकाय पहले से ही उसी लक्ष्य के साथ सक्रिय है (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध है, ऐसे जेण्डर सेन्सीटाइजेशन कमिटि अगेंस्ट सैक्सुअल ह्रासमेंन्ट–जी.एस.सी.ए.एस.एच निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति) (इण्टरनल कम्प्लेन्टस कमिटि–आई.सी.सी) के समान ही पुनर्गठित करना :

बशर्ते, बाद में दर्शाये गए मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के निकाय का गठन आई.सी.सी. के लिए आवश्यक सिद्धान्तों के आधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया है। ऐसा कोई भी निकाय इन विनियमों के प्रावधानों के द्वारा बाध्य होगा;

(आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;

(जे) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;

(के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रूप से गतिशील बनाना चाहे वह उत्पीड़न किसी प्रबल अधिकारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी घनिष्ठ भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो;

(एल) उसके कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी जो लोग हैं उन्हें दण्डित करना तथा विधि द्वारा मान्य कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अवरोध हेतु तन्त्रों एवं समाधान प्रणाली को यथास्थिति बनाना;

(एम) यदि उस दुराचार का षड़यंत्रकारी वहाँ का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;

(एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्क नियमों (जो बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;

(ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, जिनमें आन्तरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;

(पी) आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;

(क्यू) एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसमें दायर मामलो का, उनके निपटान का विवरण हो, वह तैयार करना तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;

3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ–

(1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र (आई.सी.सी.) प्रकार्य करेगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा उन्हें समय–समय पर संशोधित किया

WWW.LIVELAW.IN

जाएगा—क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुसार अधिनियम लागू किया जाना है,

(2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकार्य के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए– जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपियर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आबंटन भी हो,

(3) असुरक्षित/दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से सामर्थ से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है,

(4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टोरल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं,

(5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;

(6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं;

(7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए;

(8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए;

(9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अधूरी है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार वे स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख–रखाव का एक अनिवार्य अंग है;

(10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए;

(11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें– विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे– छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से वे स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शाम के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए;

(12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है,

WWW.LIVELAW.IN

(13) युवा छात्रों की तुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को भेदभाव पूर्ण नियमों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियों को महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करना– विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्राओं के लिए;

(14) सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें होनी अधिदेशात्मक हैं। महिलाओं के विषय में इस प्रक्रिया में लिंग संवेदी डाक्टर और नर्सें तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए;

(15) महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकोष्ठ पुनः चालू किये जाने चाहिए एवं उन्हें धन दिया जाना चाहिए और इन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आन्तरिक शिकायत समिति के प्रकार्यों से पृथक करके स्वशासी रखा जाना चाहिए। उसके साथ ही वे आन्तरिक शिकायत केन्द्रों के परामर्श से अपनी गतिविधियाँ विस्तारित करेंगे जिनमें लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल हैं तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियाँ परिसरों में प्रचारित प्रसारित करेंगे। "सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" एवं "औपचारिक अकादमिक स्थल" इन्हें परस्पर सहभागिता करनी चाहिए ताकि ये कार्यशालाएँ नवोन्मेषी, आकर्षक बने एवं मशीनी न हों;

(16) छात्रावासों के वार्डन, अध्यक्ष, प्राचार्यों, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अथवा अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जबाबदेही के दायरे में यथाआवश्यक रूप से लाना चाहिए.

4. शिकायत समाधान तन्त्रः–

(1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी लैंगिक संवेदीकरण के लिए एक आन्तरिक तन्त्र सहित एक आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे। आई.सी.सी की निम्न संरचना होगीः–

(अ) एक पीठासीन अधिकारी जो एक महिला संकाय सदस्य हो और जो एक वरिष्ठ पद पर (एक विश्वविद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह–प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न न हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित होः

बशर्ते यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को उप–अनुभाग 2(ओ) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगाः

"बशर्ते यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियोक्ता के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है"

(ब) दो संकाय सदस्य एवं दो गैर–अध्यापनरत कर्मचारी जो अधिमानतः महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए,

(स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर एवं शोधस्तर पर क्रमशः भर्ती किया जायेगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;

(द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी सभा में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;

(2) आन्तरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलायें होनी चाहिए;

(3) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे कुलपति, पदेन कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, डीन, विभागों के अध्यक्ष आदि आन्तरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे ताकि ऐसे केन्द्र के प्रकार्य की स्वायत्तता सुनिश्चित रहे;

(4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे.

(5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है.

(6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदि:—

(अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा

(ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा

(स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा

(द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी सेवायें निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;

तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;"

5. आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) :— आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :—

(अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;

(ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;

(स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा;

(द) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा

(ई) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्रवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;

6. शिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:— आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे;

7. लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया :— किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें;

बशर्ते जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा;

बशर्ते, इसके साथ ही आई.सी.सी. लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर समय सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आश्वस्त किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था;

8. जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:—

WWW.LIVELAW.IN

(1) शिकायत मिलने पर आन्तरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति को प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी,

(2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उत्तर इस शिकायत के बारे में, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नामों एवं पतों के नामों एवं उनके पतों सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा;

(3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जाँच पड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुशंसाओं सहित, यदि वे हों, तो, जाँच पड़ताल रिपोर्ट उस जाँच के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के समक्ष इस जाँच के तथ्यों या सिफारिशों की प्रति दी जाएगी,

(4) जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जाँच के विरुद्ध कोई अपील दायर न की गई हो;

(5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों/अनुशंसाओं के विरुद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष की गई अनुशंसाओं की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है;

(6) उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि आन्तरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आन्तरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताओ नोटिस जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है– उसे उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी उस असन्तुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात ही आगे की कार्रवाई करेंगे;

(7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथास्थिति उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुलह की प्रक्रिया को आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलभ कराएगा। किसी भी दण्डात्मक हस्तक्षेप की तुलना में, जहाँ तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को अधिमानता दी जाती है;

(8) पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जाँच प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा;

9. अन्तरिम समाधान:– उच्चतर शैक्षिक संस्थान,

(अ) यदि आन्तरिक शिकायत केन्द्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ताकि सम्पर्क अथवा अन्योन्य क्रिया में शामिल जोखिम कम से कम बना रहे;

(ब) पीड़ित पक्ष को, सम्पूर्ण स्तर संबंधी एवं अन्य हित लाभों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत कर दे;

(स) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबंध में कोई बात प्रकट न करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दें;

(द) सुनिश्चित करें कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धमकी है तो उनका परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दे;

(ई) लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिशोध एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किये जाने चाहिए;

10. दण्ड एवं हरजाना:–

(1) अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा;

(2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए– यदि प्रतिवादी कोई छात्र है, तो उच्चतर शैक्षिक संस्थान:–

(अ) ऐसे छात्र के विशेषाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे–पुस्तकालय, सभागार, आवासीय आगारों, यातायात, छात्रवृति, भत्तों एवं पहचान पत्र आदि तक पहुँच बनाना;

WWW.LIVELAW.IN

(जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आहरण की अनुशंसा करना;

(एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आहरित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथोचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

(जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन–III/4/असा./53]

जसपाल एस. संधु, सचिव, यूजीसी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(University Grants Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015

No. F. 91-1/2013(TFGS).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.

   (2) They shall apply to all higher educational institutions in India.

   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;

(b) 'Act' means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);

(c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short- term placements, places used for camps , cultural festivals, sports meets and such other [illegible] is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;

Inward No./ MVDM / 192/2022
Date 24/1/2022 Signature

महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय, (उच्च शिक्षण)
महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत पुणे- ४११ ००१

Web : www.dhepune.gov.in E-Mail : mavi.dhepune@gov.in
फोन नं.०२०/२६१२२११९/२६०५१५१२,२६१३०६२७,२६१२४६३९ फॅक्स नं.०२०/२६१११५३

क्र.:उशिसं/मवि-१/विद्यार्थीनी-सुरक्षा/२०२१/ 656 दिनांक- /१/२०२२

कालमर्यादीत 21 JAN 2022

प्रति,
१. कुलसचिव,
सर्व अकृषी विद्यापीठे- महाराष्ट्र राज्य.
२. सर्व विभागीय सहसंचालक,
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.
३. प्राचार्य/संचालक,
सर्व शासकीय महाविद्यालये/संस्था,
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य.

विषय: राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालये परिसरात विद्यार्थीनींवर होणा-या छेडछाडीच्या घटनेच्या अनुषंगाने हा परिसर छेडछाड मुक्त तसेच सायबर गुन्हे मुक्त करण्याबाबत.

संदर्भ: शासनपत्र क्र.:बैठक-२०२२/प्र.क्र.२७/विशि-३ दि. २०.१.२०२२

मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या उपस्थितीत उपरोक्त विषयाबाबत दि. २०.१.२०२२ रोजी सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/ कुलसचिव व संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत प्राप्त निर्देशानुसार सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व छेडछाडीच्या गुन्हांच्या अनुषंगाने खाली नमुद मुद्याप्रमाणे शासनास माहिती सादर करणेस उक्त संदर्भीय शासन पत्रान्वये कळविले आहे. तरी खाली नमुद मुद्याची माहिती **दि. २५.१.२०२२ पर्यत** या संचालनालयास सादर करण्यात यावी.

१. महिला तक्रार निवारण समिती किती महाविद्यालयांमध्ये स्थापन केली आहे?
२. विद्यार्थीनींच्या छेडछाडीच्या संदर्भात विद्यापीठ व महाविद्यालयीन परिसरात मागील दोन वर्षात किती गुन्हयांची नोंद झालेली आहे?
३. या गुन्हयांची सद्यस्थिती?
४. किती गुन्हे निकाली निघाले आहेत?
५. छेडछाडीच्या घटना व सायबर गुन्हे होऊ नये म्हणून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना.

प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयामध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत यापुर्वीही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही काही महाविद्यालयांमध्ये अद्याप महिला तक्रार निवारण

Vidhale Madam
milk
24/1/22

समितीची स्थापन केलेली नसल्यास त्यांना तात्काळ समिती स्थापन करण्याबाबत विभागीय सहसंचालक कार्यालयांकडून संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात.

सर्व अकृषी विद्यापीठे व विभागीय सहसंचालक यांनी उपरोक्त प्रश्नांबाबतची मुद्देसूद माहिती **दिनांक २५.२.२०२२** पर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. विभागीय सहसंचालक कार्यालयांकडून महांविद्यालयांना माहिती या संचालनालयास पाठविण्याबाबत कळविण्यात येऊ नये. आपल्या कार्यकक्षेतील सर्व संलग्नित (शासकीय/अशासकीय अनुदानित/विनाअनुदानित महाविद्यालये) महाविद्यालयांची माहिती आपल्या स्तरावर संकलित करुन विभागीय सहसंचालक कार्यालयाचा एकत्रित अहवाल सादर करावा. सदर माहिती या संचालनालयाच्या mavi.dhepune@nic.in या ई-मेल आय.डी. वर सादर करण्यात यावी.

प्रस्तूत प्रकरणी शासनास यशाशिघ्र अहवाल सादर करावयाचा असल्याने कृपया प्रथम प्राधान्याने कार्यवाही करण्यात यावी.

(डॉ. प्रकाश बच्छाव)
शिक्षण सहसंचालक
उच्च शिक्षण संचालनालय
महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१.

प्रत: मा.अजित म. बाविस्कर- उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना संदर्भांकित पत्राच्या अनुषंगाने माहितीस्तव सादर.

Compliances to the letter

श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती द्वारा संचालित

मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय

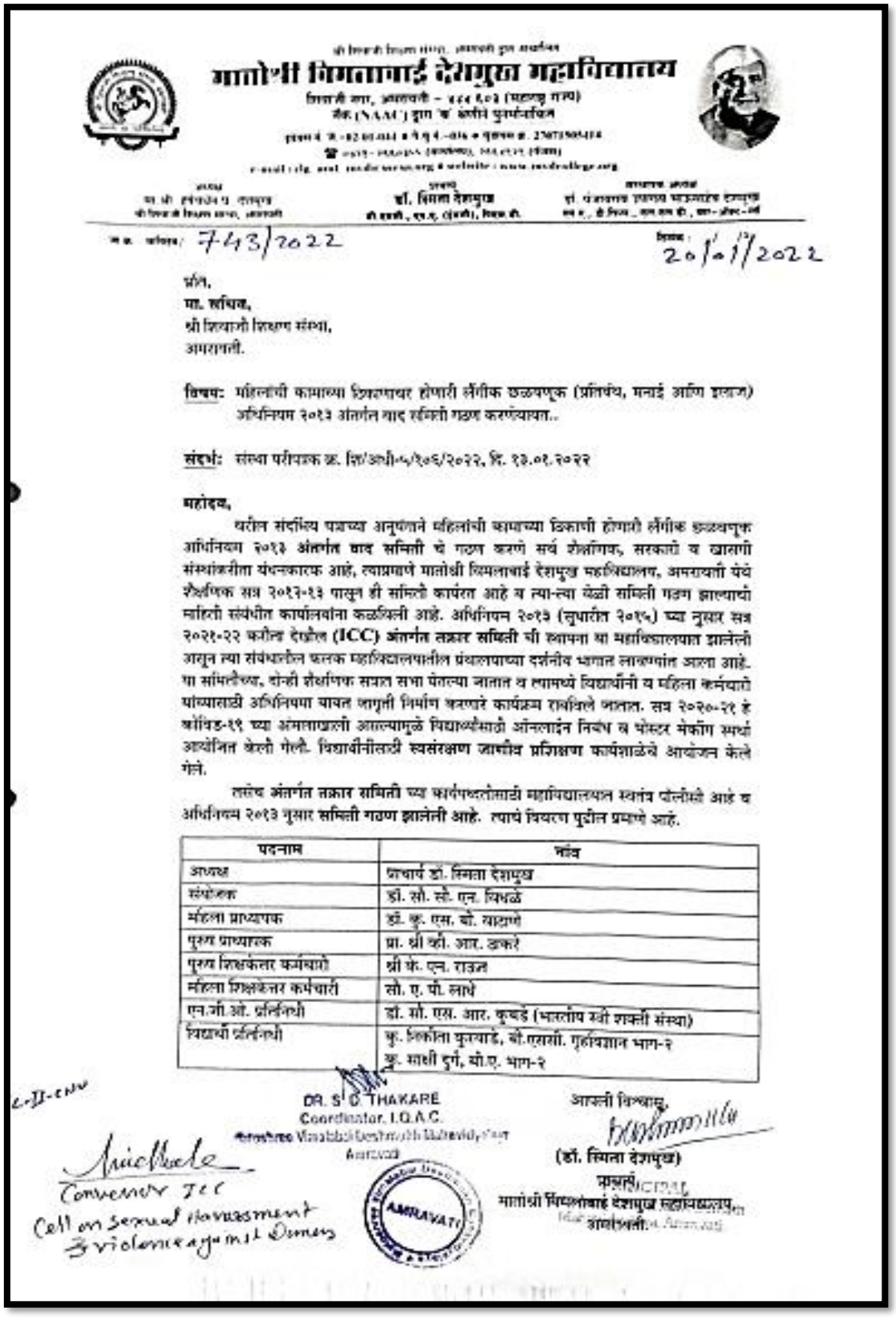

शिवाजी नगर, अमरावती – ४४४ ६०३ (महाराष्ट्र राज्य)

नॅक (NAAC) द्वारा 'ब' श्रेणीत पुनर्मानांकित

अध्यक्ष — [illegible] श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती

प्राचार्य — डॉ. विमला देशमुख

जा. क्र. कॉलेज/ 743/2022

दिनांक : 20/01/2022

प्रति,
मा. सचिव,
श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,
अमरावती.

विषय: महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ अंतर्गत वाद समिती गठण करण्याबाबत..

संदर्भ: संस्था परीपत्रक क्र. शि/अधी-५/३०६/२०२२, दि. १३.०१.२०२२

महोदय,

वरील संदर्भिय पत्राच्या अनुषंगाने महिलांची कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगीक छळवणूक अधिनियम २०१३ **अंतर्गत वाद समिती चे** गठण करणे सर्व शैक्षणिक, सरकारी व खाजगी संस्थांकरीता बंधनकारक आहे, त्याप्रमाणे मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय, अमरावती येथे शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ पासून ही समिती कार्यरत आहे व त्या-त्या वेळी समिती गठण झाल्याची माहिती संबंधीत कार्यालयांना कळविली आहे. अधिनियम २०१३ (सुधारीत २०१५) च्या नुसार सत्र २०२१-२२ करीता देखील **(ICC) अंतर्गत तक्रार समिती** ची स्थापना या महाविद्यालयात झालेली असून त्या संबंधातील फलक महाविद्यालयातील ग्रंथालयाच्या दर्शनीय भागात लावण्यात आला आहे. या समितीच्या, दोन्ही शैक्षणिक सत्रात सभा घेतल्या जातात व त्यामध्ये विद्यार्थीनी व महिला कर्मचारी यांच्यासाठी अधिनियमा बाबत जागृती निर्माण करणारे कार्यक्रम राबविले जातात. सत्र २०२०-२१ हे कोविड-१९ च्या अंमलाखाली आल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन निबंध व पोस्टर मेकींग स्पर्धा आयोजित केली गेली. विद्यार्थीनींसाठी **स्वसंरक्षण जाणीव प्रशिक्षण** कार्यशाळेचे आयोजन केले गेले.

तसेच **अंतर्गत तक्रार समिती** च्या कार्यपध्दतीसाठी महाविद्यालयात स्वतंत्र पॉलीसी आहे व अधिनियम २०१३ नुसार **समिती गठण झालेली आहे.** त्याचे विवरण पुढील प्रमाणे आहे.

पदनाम	नांव
अध्यक्ष	प्राचार्य डॉ. विमला देशमुख
संयोजक	डॉ. सौ. सी. एन. चिखळे
महिला प्राध्यापक	डॉ. कु. एस. बी. वाठाणे
पुरुष प्राध्यापक	प्रा. श्री व्ही. आर. ठाकरे
पुरुष शिक्षकेत्तर कर्मचारी	श्री के. एन. राऊत
महिला शिक्षकेत्तर कर्मचारी	सौ. ए. पी. लाचे
एन.जी.ओ. प्रतिनिधी	डॉ. सौ. एस. आर. कुचडे (भारतीय स्त्री शक्ती संस्था)
विद्यार्थी प्रतिनिधी	कु. निकीता कुरवाडे, बी.एससी. गृहविज्ञान भाग-२ कु. साक्षी दुर्गे, बी.ए. भाग-२

C-II-CNW

DR. S. D. THAKARE
Coordinator, I.Q.A.C.
Mātoshree Vimalabai Deshmukh Mahavidyalaya
Amravati

आपली विश्वासु,

(डॉ. विमला देशमुख)
प्राचार्य
मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय,
अमरावती.

AMRAVATI

Convener ICC
Cell on sexual Harassment & violence against Women

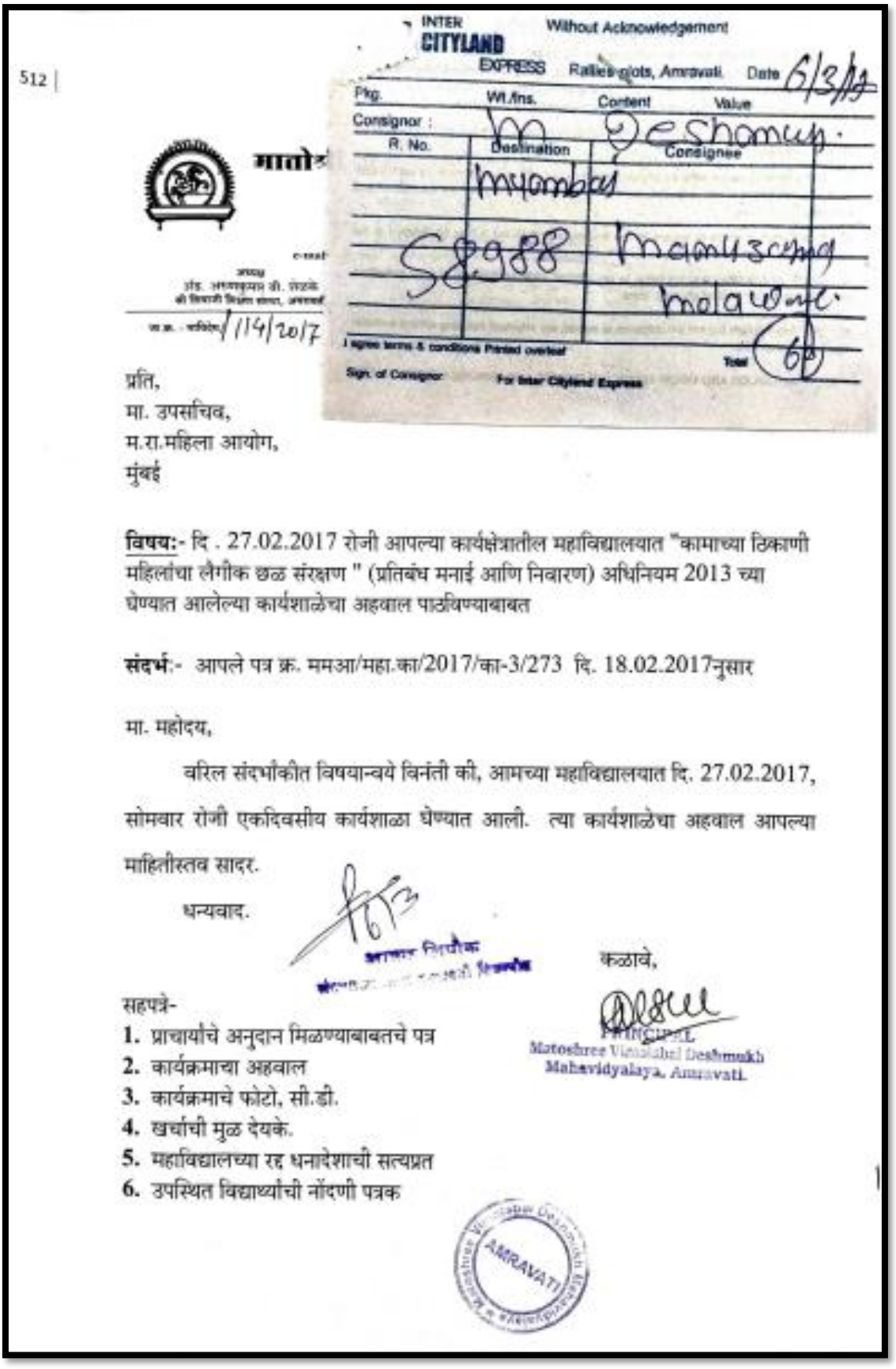

512 |

INTER CITYLAND EXPRESS — Without Acknowledgement

Rallies plots, Amravati. Date 6/3/17

Pkg. Wt./lns. Content Value

Consignor : M. Deshmukh.

R. No.	Destination	Consignee
	Mumbai	
58988		Manushya Molawane.

I agree terms & conditions Printed overleaf

Total 60

Sign. of Consignor For Inter Cityland Express

मातो

अध्यक्ष

जा.क्र. - /1/14/2017

प्रति,
मा. उपसचिव,
म.रा.महिला आयोग,
मुंबई

<u>विषय:</u>- दि . 27.02.2017 रोजी आपल्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयात "कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैगीक छळ संरक्षण " (प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेचा अहवाल पाठविण्याबाबत

संदर्भ:- आपले पत्र क्र. ममआ/महा.का/2017/का-3/273 दि. 18.02.2017नुसार

मा. महोदय,

वरिल संदर्भांकीत विषयान्वये विनंती की, आमच्या महाविद्यालयात दि. 27.02.2017, सोमवार रोजी एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. त्या कार्यशाळेचा अहवाल आपल्या माहितीस्तव सादर.

धन्यवाद.

कळावे,

PRINCIPAL
Matoshree Vimalabai Deshmukh
Mahavidyalaya, Amravati.

सहपत्रे-

1. प्राचार्यांचे अनुदान मिळण्याबाबतचे पत्र
2. कार्यक्रमाचा अहवाल
3. कार्यक्रमाचे फोटो, सी.डी.
4. खर्चाची मुळ देयके.
5. महाविद्यालच्या रद्द धनादेशाची सत्यप्रत
6. उपस्थित विद्यार्थ्यांची नोंदणी पत्रक

AMRAVATI

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय विस्तार, कक्ष क्र. ४२२,
चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई – ३२.

क्र. बैठक-२०२२/प्र. क्र. २७/विशि-३ दि. २०/०१/२०२२

प्रति,
संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे,
सचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई,
संचालक, कला संचालनालय, मुंबई.

विषय : राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालये परिसरात विद्यार्थीनीवर होणाऱ्या छेडछाडीच्या घटनेच्या अनुषंगाने हा परिसर छेडछाड मुक्त तसेच, सायबर गुन्हे मुक्त करण्याबाबत.

महोदय,

मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या उपस्थितीत वरील विषयासंदर्भात दि. २०/०१/२०२२ रोजी सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु/कुलसचिव व संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत प्राप्त निर्देशानुसार सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व छेडछाडीच्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे माहिती गोळा करुन शासनास सादर करण्यात यावी.

1) महिला तक्रार निवारण समिती किती महाविद्यालयांमध्ये स्थापन केली आहे
2) विद्यार्थीनींच्या छेडछाडीसंदर्भात विद्यापीठ व महाविद्यालयीन परिसरात मागील दोन वर्षात किती गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे
3) या गुन्ह्यांची सद्यस्थिती
4) किती गुन्हे निकाली निघाले
5) छेडछाडीच्या घटना व सायबर गुन्हे होऊ नये म्हणून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना

महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत यापूर्वी सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि अशी समिती स्थापन झाली नसल्यास त्या लवकरात लवकर स्थापन करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्या.

वरीलप्रमाणे एकत्रित माहिती कृपया तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावी.

आपला,

(अजित म. बाविस्कर)
उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,
महाराष्ट्र शासन

कार्यालय, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था,अमरावती (महाराष्ट्र)

जा.क्र./ अंत-१/ १०६ /२०२२ दि. १३/०१/२०२२

Inward No./ MVDM/ 187/2022
Date 18/01/2022
Signature

परिपत्रक

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,
संस्थेअंतर्गत सर्व वरिष्ठ महाविद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय/
माध्यमिक/प्राथमिक/आश्रमशाळा/वसतीगृह/स्वयं-अर्थसहाय्यीत शाळा/
अध्यापक विद्यालय/इतर संस्थांचे
प्राचार्य/प्राचार्या/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/प्रभारी प्रमुख

विषय :- महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ अंतर्गत वाद समिती गठण करणेबाबत...

श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचालीत सर्व वरिष्ठ महाविद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय/माध्यमिक/प्राथमिक/आश्रमशाळा/वसतीगृह/स्वयं-अर्थसहाय्यीत शाळा/अध्यापक विद्यालय/इतर संस्थांचे प्राचार्य/प्राचार्या/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/प्रभारी प्रमुख यांना याव्दारे कळविण्यात येत की, दिवसें-दिवस कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक व त्यासंबंधी संस्थेकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी पाहता महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक (प्रतिबंध मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ पासून अमंलात आलेला आहे व ह्या अधिनयमातंर्गत जो कोणी कर्मचारी कामाच्या ठिकाणावर महिलांची लैंगीक छळवणूक करीत असेल अशा कर्मचाऱ्यावर नियमानूसार तात्काळ कारवाई होणे अभिप्रेत आहे., आणि

ज्याअर्थी लैंगीक छळवणूक मुलभूत हक्कांचे उल्लघंन करणारे असून भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १५ खालील महिलांचे समानतेचे मुलभूत अधिकार आणि तिच्या जीवनाचा अधिकार आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार जे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये उदघोषीत आहे. आणि कोणताही पेशा आचरणाकरीता अथवा कोणताही व्यवसाय, उदिक किंवा धंदा चालविण्याकरीता ह्यात लैंगीक छळवूणकीपासून मुक्त संरक्षित वातावरणाचा समावेश केलेला आहे., आणि

त्याअर्थी महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक विरोधी संरक्षणासाठी उक्त अधिनियमाच्या अनुषंगाने संस्थेअंतर्गत वरील सर्व आस्थापनेवर कार्यरत महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक (प्रतिबंध मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ नुसार आपल्या आस्थापनेवर अंतर्गत वाद समितीची बांधणी/गठण करण्याकरीता खालील प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे.

१. महिलांची कामाच्या ठिकाणावर होणारी लैंगीक छळवणूक (प्रतिबंध, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ मधील प्रकरण-२ नियम-४ नुसार विनाविलंब "<u>अंतर्गत वाद समिती</u>" चे गठण करावे.(सोबत अंतर्गत वाद समितीची संरचना याव्दारे आपणाकडे पाठविण्यात येत आहे.)
२. समितीचे गठण केल्यावर त्याबाबतचे फलक आस्थापनेच्या दर्शनीय भागात लावावे.
३. समितीचे गठण ०७ दिवसाच्या आत करणे बंधनकारक राहील.
४. समितीचे गठण केल्यावर याबाबतचा संपूर्ण अहवाल संस्था कार्यालयास तात्काळ सादर करावा.
५. समिती गठीत करण्याबाबत काही अडचण असल्यास संस्था कार्यालयास संपर्क करण्यात यावा.

सोबत :- विषयांकीत समिती गठण करण्याबाबतची प्रत

To Wadhale
21/1/2022

(शेषराव शं. खाडे)
सचिव
श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती

प्रत सविनय सादर :-
१.मा. अध्यक्ष, श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती यांना माहिती करीता सविनय सादर
२.श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावतीच्या कार्यकारी परिषदेचे सर्व सन्मा. पदाधिकारी तथा सदस्य यांना माहिती करीता सविनय सादर

प्रतिलीपी :-
१.अधिक्षक, सामान्य प्रशासन, मुख्य कार्यालय, श्री. शि.शि.सं.अमरावती यांना उचित कार्यवाही करीता.
२.अधिक्षक, उच्च शिक्षण, मुख्य कार्यालय, श्री.शि.शि.सं.अमरावती यांना उचित कार्यवाही करीता.
.माध्यमिक विभाग, मुख्य कार्यालय, श्री. शि.शि.सं.अमरावती यांना उचित कार्यवाही करीता.

[illegible]
[illegible]) अधिनियम, २०१३

प्रकरण - २

अंतर्गत वाद समीतीची बांधणी/गठण

४. अंतर्गत वाद समीतीची बांधणी.- (१) कामाच्या ठिकाणावरील प्रत्येक नियोजक, मालक लेखी आदेशान्वये समीती गठीत करू शकतो, जी "अंतर्गत वाद समीती" म्हणून गणली जाईल:

परंतु जेंव्हा, कामाच्या ठिकाणाची कार्यालये किंवा प्रशासकीय एकक हे वेगवेगळ्या ठिकाणी किंवा विभागीय किंवा उप-विभागीय पातळीवर असल्यास अतंर्गत वाद समीतीची बांधणी प्रत्येक प्रशासकीय एकक किंवा कार्यालयांच्या ठिकाणी केली जाईल.

(२) नियोजक/मालक अतंर्गत वाद समीतीत अनुक्रमे खालील प्रमाणे सदस्यांची नेमणूक करेल.

(अ) कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी वर्गातून वरिष्ट श्रेणीत काम करणारी एक स्त्री/महीला अध्यक्षपदस्य अधिकारी असेल:

परंतु जेंव्हा, कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी वर्गातून वरिष्ठ श्रेणीत काम करणारी स्त्री/महीला उपलब्ध नसल्यास, अध्यक्षपदस्य अधिकाऱ्याची नेमणूक पोट कलम (१) मध्ये निर्देशीत केलेल्या प्रशासकीय एकक किंवा कार्यलयांच्या ठिकाणावरुन:

पुन्हा हे तेंव्हा जेंव्हा की, प्रशासकीय एकक किंवा कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी कर्मचारी वर्गातून वरिष्ठ श्रेणीत काम करणारी स्त्री/महीला उपलब्ध नसल्यास, अध्यक्षपदस्य अधिकाऱ्याची नेमणूक ही त्याच नियोजक/मालकाच्या इतर कामाच्या ठिकांणावरुण किंवा विभागातून किंवा संघटनेतून;

(ब) कर्मचारी वर्गातून जे महीलांच्या न्यायहक्कासाठी प्रतिबध्द असण्यास प्राधान्य देतील किंवा ज्यांना सामाजीक कार्याचा अनुभव आहे किंवा ज्यांना कायघ्याचे ज्ञान आहे असे दोन पेक्षा कमी सदस्य नसावे;

(क) एक सदस्य हा निमसरकारी संघटना किंवा संस्था जी महीलांच्या न्यायहक्कासाठी प्रतिबध्द आहे किंवा अशी व्यक्ती जी महीलांच्या लैगींक छळवणूक विषयाशी परिचीत आहे:

परंतु नेमणूक करण्यात आलेले एकूण सदस्यसंखेच्या निम्मे/अर्धे सदस्य महिला सदस्य असतील.

(३) अध्यक्षपदस्थ अधिकारी तसेच अंतर्गत वाद समीतील प्रत्येक सदस्य हा त्या कालावधीसाठी पद धारण करील, जे तीन वर्षापेक्षा अधिक नसेल, नियोजकाने/मालकाने नेमणुक केलेल्या तारखेचा उल्लेख केल्यापासून.

(४) निमसरकारी संघटना किंवा संघ यातून नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यास, अंतर्गत समीतीचे कामकाज चालविण्यासाठी, नियोजक/मालक याजकडून उल्लेख करण्यात आलेली फी किंवा भत्ता देय असेल.

(५) जेव्हा अध्यक्षपदस्य अधिकारी किंवा अंतर्गत समीतीतील कोणताही सदस्य,-

(अ) कलम १६ मधील तरतूदींचे उल्लंघन करेल; किंवा

(ब) एखादया गुन्ह्यासाठी/अपराधासाठी ज्याला शिक्षा झाली असेल किंवा तत्समयी कार्यान्वित असलेल्या कोणत्याही कायदयाअंतर्गत गुन्ह्यात ज्याच्याविरुध्द चौकशी बाकी असेल; किंवा

(क) तो शिस्तभंगाच्या/अनुशासिक कार्यवाहीत दोषी सिध्द झाला किंवा ज्याच्याविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही बाकी असेल; किंवा

(ड) तो पदाचा/हुददयाचा अशाप्रकारे गैरफायदा घेईल की त्याला कायम करणे हे लोकहिताच्या प्रतिकूल असेल,

अशा अध्यक्षपदस्य अधिकाऱ्यास किंवा सदस्यास प्रसंगानुसार समीतीतून काढले जाईल आणि अशा प्रकारे रिक्त किंवा अनपेक्षीतरीत्या रिक्त झालेली जागा या कलमातील तरतूदींच्या अधिन राहून नविन नेमणूकीद्वारे भरण्यात येईल.

प्रकरण – ३

स्थानिक वाद समीतीचे गठण/बांधणी

५. जिल्हा अधिकाऱ्याची अधिसूचना.– उचित सरकार या कायदयाअंर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाराची अंमलबजावणी किंवा कार्यपालन करण्यासाठी, जिल्हा अधिकारी म्हणून जिल्हा दंडाधिकारी, किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी किंवा उप-जिल्हाधिकारी जाहीर करेल.

६. [1][स्थानिक समीतीची] बांधणी आणि अधिकारक्षेत्र.– (१) प्रत्येक जिल्हा अधिकारी त्याच्याशी संलग्न जिल्हयात समीती स्थापन करेल जी [2]["स्थानिक समीती"] म्हणून ज्ञात असेल जी आस्थापनेकडून लैंगीक छळवणुकी संबधी तक्रारी स्विकारेल जेथे कर्मचारी संख्या दहा पेक्षा कमी असेल किंवा जर तक्रार ही नियोजक/मालकाच्या विरोधात असेल, या कारणामुळे [3][अंतर्गत समीतीची] बांधणी झाली नसल्यास.

(२) जिल्हा अधिकारी प्रत्येक विभागात ग्रामीण भागात तालुका आणि तहसील ठिकाणी, किंवा दलित भाग किंवा प्रभाग किंवा नगरपरिषद शहरी भागात एक नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करेल जो तक्रारी स्विकारुन सात दिवसाच्या आत संबंधीत [4][स्थानिक समीतीकडे] पाठवेल.

(३) [5][स्थानिक समीतीचे] अधिकारक्षेत्र हे त्या संपुर्ण जिल्हयावर असेल ज्या जिल्हयात ती समीती स्थापन जाली असेल.

२०१६ चा अधिनियम २३, अनुसूची दोन द्वारे "स्थानिक वाद समीतीची" या मजकुराऐवजी हा मजकूर बदलण्यात आला.
२०१६ चा अधिनियम २३, अनुसूची दोन द्वारे "स्थानिक वाद समीती" या मजकुराऐवजी हा मजकूर बदलण्यात आला.
२०१६ चा अधिनियम २३, अनुसूची दोन द्वारे "अंतर्गत वाद समीतीची" या मजकुराऐवजी हा मजकूर बदलण्यात आला.
२०१६ चा अधिनियम २३, अनुसूची दोन द्वारे "स्थानिक वाद समीतीकडे" या मजकुराऐवजी हा मजकूर बदलण्यात आला.
२०१६ चा अधिनियम २३, अनुसूची दोन द्वारे "स्थानिक वाद समीतीचे" या मजकुराऐवजी हा मजकूर बदलण्यात आला.

5.1.4. The Institution has transparent mechanism for timely Redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases